पंचायती राज व्यवस्था Panchayati Raj System

स्वतंत्रता के पश्चात् भारत में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की भावना को साकार करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं माना जाना चाहिए कि पंचायती राज की परिकल्पना केवल स्वतंत्र भारत की ही उपज है। भारत के प्राचीन इतिहास के अवलोकन से पता चलता है कि वैदिक काल में भी पंचायतों का अस्तित्व था। उस जमाने में राजा पंचायतों के माध्यम से राज करता था। ग्राम के प्रमुख को उस समय ग्रामिणी कहा जाता था तथा ग्रामिणी ही पंचायत का प्रमुख कार्यकर्त्ता होता था। बौद्ध काल में भी ग्राम परिषदें होने का उल्लेख मिलता है। बौद्धकालीन साहित्य से पता चलता है कि ग्राम परिषदों का प्रमुख कार्य ग्राम भूमि की व्यवस्था करना व शांति सुरक्षा में सहयोग प्रदान करना था। स्मृति ग्रंथों में भी पंचायतों का उल्लेख मिलता है। इस तरह यह स्पष्ट है कि वैदिक व बौद्ध काल में पंचायतें ग्रामीण जनहित के कार्यों में संलग्न थी। रामायण एवं महाभारत काल में इनका काफी विस्तार व विकास हो चुका था। पंचायतें गाँव स्तर से लेकर राज्य स्तर तक हुआ करती थी।

फिर भी यह अवश्य है कि वर्तमान पंचायत राज की कल्पना स्वाधीनता संघर्ष के दौरान संजोई गई थी। महात्मा गाँधी के ~~स्वराज~~ स्वराज्य की अवधारणा में पंचायती राज व्यवस्था की परिकल्पना निहित थी।

जब भारत स्वतंत्रता पश्चात् संविधान का निर्माण किया तो राज्य के निर्देशक तत्वों में पंचायती राज की धारणा को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 40 में लिखा गया - "राज्य ग्राम पंचायतों की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियाँ एवं अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो।"

Scanned with CamScanner

पंचायती राज व्यवस्था अपनाए जाने के सिद्धांत - भारत में पंचायती राज निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है -

1. भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। सत्ता को दिल्ली की लोक सभा अथवा राज्यों के विधान मण्डलों तक ही यदि सीमित रखा जाए तो देश पनप नहीं सकता अतः यह आवश्यक है कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण कर गाँव से जिला और स्थानीय स्वशासित संस्थाओं का त्रिस्तरीय ढाँचा बनाया जाए यह एक ऐसी व्यवस्था है जिससे देश का हर गाँव और गाँव का हर परिवार दिल्ली की लोकसभा से जुड़ जाएगा।
2. पंचायती राज की संस्थाएँ सामुदायिक विकास की एजेन्सी बने, सहकारिता को प्रोत्साहन दे, स्वयं की कोई नीति न बनाकर सरकारी नीति को अमल में ~~जाए~~ लाएँ।
3. सरकार अपने कुछ कामों का दायित्व ऐसी संस्थाओं को सौंप दे जो अपने क्षेत्र की उन्नति के लिए स्व-प्रेरणा से काम लें। इसके लिए उन्हें समुचित अधिकार प्रदान किए जाएं
4. संस्थाओं को काम करने के लिए साधन और नियंत्रण के इतने अधिकार दिए जाएँ कि वे सौंपे गए कार्यों को भलीभांति समुचित रूप से कर सकें।
5. इस प्रकार की व्यवस्था बनाई जाए कि भविष्य में अधिकार सौंपने में सुविधा हो।

पंचायत राज की संकल्पना

भारत में पंचायतों का इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन काल में आपसी झगड़ों का फैसला पंचायत ही करती थी, परंतु अंग्रेजी राज के ~~जमाने~~ में पंचायतें धीरे-धीरे समाप्त होगई और सब काम प्रांतीय सरकार करने लगी। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद राज्य सरकारों ने पंचायतों की स्थापना की ओर विशेष ध्यान दिया और इसकी शुरुआत का श्रेय भी पं० जवाहरलाल नेहरू को है। नेहरू जी का लोकतांत्रिक तरीकों

Scanned with CamScanner

में अटूट विश्वास था। सन् 1952 में उन्हीं की पहल पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम

1950 में भारत का नया संविधान लागू हो गया। केन्द्र सरकार के अनेक महत्वपूर्ण कार्यों में 'पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय' की स्थापना अत्यधिक महत्वपूर्ण थी। श्री एस० के० डे को मंत्रालय का मंत्री बनाया गया। 1952 में नेहरू जी की पहल पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम इस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया कि आर्थिक नियोजन एवं सामाजिक पुनरुद्धार की राष्ट्रीय योजनाओं के प्रति देश की ग्रामीण जनता में सक्रिय रुचि उत्पन्न की जा सके। सरकार के साथ मिलकर ग्रामीण जनता स्वयं सहभागी होकर ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास को सफल बनाए। इसमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित कार्यों को पूरा करने का उद्देश्य रखा गया -

1) ग्राम में सम्पर्क मार्गों का विकास
2) स्वास्थ्य कल्याण कार्यक्रम
3) प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना
4) कृषि की उपज बढ़ाने के लिए ग्रामीण किसानों को प्रशिक्षित करना।
5) ग्रामीणों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित कर आय एवं आत्मविश्वास बढ़ाना।
6) यह प्रयास करना कि स्वयं ग्रामीण जनता एवं विकास एवं कल्याण कार्यक्रम में आगे आए तथा सरकारी तंत्र के सहयोग से कार्य करे।

उपर्युक्त उद्देश्यों में अधिक सफलता नहीं प्राप्त हो सकी। विशेष रूप से जनसहयोग, इन कार्यक्रमों में प्रभावी नहीं हो सका।

Scanned with CamScanner

बलवन्तराय मेहता समिति का प्रतिवेदन

सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर काफी खर्च हो चुकने और इसकी सफलता के लम्बे - चौड़े दावे के बाद इसकी जाँच के लिए एक अध्ययन दल 1957 में नियुक्त किया गया। इस अध्ययन दल के अध्यक्ष श्री बलवंतराय मेहता थे। इस दल ने सरकार को बताया कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बुनियादी त्रुटि यह है कि जनता का इसमें सहयोग नहीं मिला। 'मेहता' अध्ययन दल ने 1957 के अंत में अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की कि लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण और सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को सफल बनाने हेतु पंचायती राज संस्थाओं की तुरंत शुरुआत की जानी चाहिए। अध्ययन दल ने इसे 'लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण' का नाम दिया। दल की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित थी -

1. स्थानीय स्वशासन की गाँव से लेकर जिला स्तर तक त्रिस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए - ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खण्ड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद।
2. स्थानीय प्रशासन की इन संस्थाओं को प्रशासन की वास्तविक शक्तियाँ तथा उत्तरदायित्व प्रदान करना चाहिए।
3. इन संस्थाओं को पर्याप्त संसाधन हस्तान्तरित करने चाहिए, जिससे ये अपना उत्तरदायित्व पूरा कर सकें।
4. आयोजना के द्वारा बनाए गए आर्थिक एवं सामाजिक विकास के कार्यक्रमों को इन संस्थाओं के माध्यम से चलाया जाना चाहिए।
5. इस नई व्यवस्था को लागू करके देखना चाहिए तथा भविष्य में अधिक कार्य शक्ति एवं उत्तरदायित्वों को सौंपने का कार्य करना चाहिए।

पंचायती राज पर अमल और कठिनाइयाँ एवं समस्याएँ

पंचायती राज की उक्त योजना का उद्घाटन सबसे पहले 2 अक्टूबर, 1959 को प्रधानमंत्री पं० नेहरू द्वारा राजस्थान

Scanned with CamScanner

के नागौर जिले में किया गया। इसके तुरंत बाद इसे आन्ध्र प्रदेश तथा क्रमशः अन्य राज्यों में अपनाया गया। 1963 तक भारतीय संघ के सभी राज्यों में 'पंचायत राज' की स्थापना की गई। लगभग एक दशक तक पंचायत राज की यह व्यवस्था उचित रूप से चली, लेकिन उसके बाद स्थिति संतोषजनक नहीं रही। भारतीय संघ के अधिकांश राज्यों में, इस व्यवस्था में अनेक समस्याओं ने घर कर लिया। कुछ राज्यों में तो व्यवहार में एक दशक से भी अधिक समय तक, पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव नहीं हुए।

अशोक मेहता समिति की सिफारिशें

जनता पार्टी ने 12 सितम्बर 1977 को पंचायती राज संस्थाओं की कार्य प्रणाली का अध्ययन करने एवं प्रचलित ढांचे में आवश्यक परिवर्तन सुझाने हेतु एक उच्चस्तरीय समिति नियुक्त की। श्री अशोक मेहता इस समिति के अध्यक्ष थे। समिति ने 1978 में अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को सौंप दी, जिसमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित सिफारिशें की गई -

1. जिला परिषद् को मजबूत बनाया जाए तथा ग्राम पंचायत की जगह मण्डल पंचायत की स्थापना की जाए अर्थात् पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के दो स्तर हो - जिला परिषद् तथा मण्डल पंचायत
2. राज्य में विकेन्द्रीकरण का प्रथम स्तर जिला हो तथा जिला परिषद् को समस्त विकास कार्यों का केन्द्र बिन्दु बनाया गया।
3. जिला स्तर के नीचे मण्डल का गठन किया जाए, जिसमें करीब 15,000 - 20,000 जनसंख्या एवं 10-15 गांव शामिल हो।
4. ग्राम पंचायत तथा पंचायत समिति को समाप्त कर देना चाहिए।
5. मण्डल पंचायत तथा जिला परिषद् का कार्यकाल 4 वर्ष हो।
6. पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में राजनीतिक दलों को भाग लेना चाहिए।
7. पंचायती राज संस्थाएँ समिति प्रणाली के आधार पर अपने कार्यों का सम्पादन करे।

Scanned with CamScanner

डॉ० पी० वी० के० राव समिति

1985 में डॉ० पी० वी० राव की अध्यक्षता में एक समिति ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए उपयुक्त प्रशासनिक विकास व्यवस्था की सिफारिश करने हेतु गठित की गई। इस समिति ने राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद्, जिला स्तर पर जिला परिषद्, मण्डल स्तर पर मण्डल पंचायत तथा ग्राम स्तर पर ~~सभा~~ ग्राम सभा के गठन की सिफारिश की; लेकिन समिति की सिफारिश को अमान्य कर दिया गया।

डॉ० एल० एम० सिंघवी समिति

1987 में पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों की समीक्षा करने तथा उनमें सुधार करने के संबंध में सिफारिश करने के लिए सिंघवी समिति का गठन किया गया। इस समिति ने गांवों के पुनर्गठन और पंचायतों को पर्याप्त वित्तीय साधन सुलभ कराने की सिफारिश की।

1988 में पंचायती राज संस्थाओं पर विचार करने के लिए पी० के० थुंगन समिति का गठन किया गया। इस समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में स्थान दिया जाना चाहिए। इस समिति की सिफारिश के आधार पर 1989 में राजीव गांधी सरकार द्वारा 64 वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया, लेकिन इस विधेयक को राज्यसभा में आवश्यक बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। दसवीं लोकसभा चुनाव के बाद स्थापित ~~कांग्रेस~~ केन्द्रीय सरकार द्वारा पुनः इस दिशा में प्रयत्न किए गए तथा 1993 में पंचायत राज या ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्व-शासन के संबंध में 73 वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया।

Scanned with CamScanner

73 वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 - इस संशोधन द्वारा संविधान में एक नया भाग, भाग IX तथा अनुच्छेद 16 व एक नई अनुसूची ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी गई है और 'पंचायती राज व्यवस्था' को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। यह अधिनियम 25 अप्रैल 1993 से लागू हुआ है। इस संवैधानिक संशोधन के आधार पर पंचायत राज के संबंध में प्रमुख रूप से निम्नलिखित व्यवस्थाएँ की गई हैं:-

- संरचना - गांव सभा - इस अधिनियम में प्राथमिक स्तर पर गांव सभी सभा की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक गांव के सभी वयस्क नागरिकों से मिलकर बनने वाली सभा को गांव सभा का नाम दिया गया है। इस प्रकार यह ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन की प्रत्यक्ष लोकतंत्रीय संस्था है। यह गांव सभा गांव के स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे कार्यों को करेगी, जो राज्य विधानमण्डल विधि बनाकर निश्चित करें।
- त्रिस्तरीय ढाँचा - इस अधिनियम में गांव सभा के अतिरिक्त 'त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं' की व्यवस्था की गई है। पंचायत राज व्यवस्था के तीन स्तर हैं - ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, विकास खण्ड या मध्यवर्ती स्तर पर खण्ड समिति, क्षेत्र समिति या पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद्, लेकिन जिन राज्यों या संघीय राज्य क्षेत्रों की जनसंख्या 20 लाख से कम है, उन्हें स्वयं अपने संबंध में इस बात पर निर्णय लेना होगा कि मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत राज संस्था रखी जाए या नहीं।
- पंचायतों की संरचना - पंचायतों के सभी स्थान पंचायत क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों से भरे जाएंगे। इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को ऐसी रीति से निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या और उसको आवंटित स्थानों की संख्या के बीच अनुपात समस्त पंचायत-क्षेत्र में यथा-साध्य एक ही हो।

Scanned with CamScanner

ग्राम स्तर पर पंचायत का अध्यक्ष ऐसी रीति से चुना जाएगा, जो राज्य विधानमण्डल विधि द्वारा निर्धारित करे। मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन उसके सदस्यों द्वारा अपने में से किया जाएगा।

राज्य सरकार यदि चाहे, तो विधि बनाकर ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को माध्यमिक स्तर पर व माध्यमिक स्तर के अध्यक्ष को जिला परिषद् में सदस्य के रूप में उपबंधित कर सकती है।

राज्य विधानमण्डल, विधि द्वारा ऐसे लोकसभा व विधान सभा के सदस्यों, जिनके निर्वाचन क्षेत्र का कोई भाग किसी माध्यमिक या जिला पंचायत क्षेत्र में आता हो तथा ऐसे राज्य सभा व विधानपरिषद् सदस्य, जो कि उस क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत है, को माध्यमिक व जिला पंचायत का सदस्य बना सकती है।

- चुनाव की विधि – पंचायत स्तर पर सभी ग्राम पंचायतों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा और जिला परिषद् के स्तर पर अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। मध्यवर्ती स्तर की संस्था के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष यह बात संबंधित राज्य सरकार द्वारा निश्चित की जाएगी।

- आरक्षण – ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किए गए है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या जनसंख्या के अनुपात में होगी। महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था पहली बार की गई है और अब ग्राम पंचायतों में कम-से-कम 30% पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की जो संख्या होगी, उनमें भी 30% स्थान उन जातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।

Scanned with CamScanner

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और स्त्रियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था ग्राम पंचायतों में अध्यक्ष पद (सरपंच) के लिए भी की गई है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के संबंध में अध्यक्ष पद के लिए उसी अनुपात में स्थान आरक्षित होंगे, जिस अनुपात में उस क्षेत्र में उनकी जनसंख्या है। ग्राम पंचायतों के अध्यक्ष पदों की कुल संख्या के 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। प्रत्येक खण्ड में ग्राम पंचायत के अध्यक्ष पद पर महिलाओं के लिए हुए आरक्षण 'चक्रानुक्रम' (Rotation) से आबंटित किया जाएगा।

अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए यह आरक्षण उस अवधि तक प्रभावी रहेगा, जिस अवधि तक अनुच्छेद 334 के अधीन उन्हें आरक्षण प्राप्त है। 62वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार वर्तमान समय में यह अवधि 25 जनवरी 2000 ई तक की। महिलाओं के लिए आरक्षण की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई।

- सदस्यों की योग्यताएँ - पंचायत का सदस्य निर्वाचित होने के लिए निम्न योग्यताएँ आवश्यक होंगी:-

1. नागरिक ने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो।
2. वह व्यक्ति प्रवृत विधि के अधीन राज्य विधानमण्डल के लिए निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो।
3. यदि वह संबंधित राज्य विधानमण्डल द्वारा निर्मित विधि के अधीन पंचायत का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो।

- कार्यकाल - पंचायत राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। इसके पूर्व भी उनका विघटन किया जा सकता है। यदि उस समय प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन ऐसा उपबंध हो। किसी पंचायत के गठन के लिए चुनाव (क) पाँच वर्ष की अवधि के पूर्व का (ख) विघटन की तिथि से 6 माह की अवधि समाप्त होने के पूर्व करा लिया जाएगा।

Scanned with CamScanner

- पंचायतों का निर्वाचन - पंचायतों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने और पंचायतों के सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा। इस कार्य के लिए राज्य में एक 'राज्य निर्वाचन आयुक्त' की नियुक्ति की जा सकती है।

- वित्त आयोग की नियुक्ति - इस अधिनियम की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अब प्रत्येक 5 वर्ष बाद राज्य स्तर पर एक 'वित्त आयोग' का गठन होगा। यह वित्त आयोग राज्यसरकार और पंचायती राज संस्थाओं के बीच धन के बंटवारे के संबंध में सिफारिशें करेगा। आयोग यह भी तय करेगा कि राज्य के संचित कोषों से पंचायत को कितना धन दिया जाए। यह पंचायतों की वित्तीय स्थिति में सुधार के उपाय भी सुझाएगा। यह अपना प्रतिवेदन राज्य के राज्यपाल को देगा। 73 वें संवैधानिक संशोधन के उपबंध संघ राज्य क्षेत्रों पर भी लागू होंगे, लेकिन यह उपबंध उत्तर पूर्वी भारत के कुछ राज्यों और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के पर्वतीय क्षेत्र पर लागू नहीं होंगे।

- निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का निषेध अनुच्छेद 329 में यह कहा गया है कि निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाने पर न्यायालय उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार न्यायालयों को इस बात की अधिकारिता नहीं होगी कि वे अनुच्छेद 243 ट के अधीन निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या स्थानों के आबंटन से संबंधित किसी विधि की विधि की मान्यता की परीक्षा करें।

- नवीन पंचायती राज व्यवस्था का मूल्यांकन

9 अक्टूबर 1995 को देश भर के पंचायत अध्यक्षों का दो दिवसीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ। सम्मेलन में पंचायतों को वित्तीय व न्यायिक अधिकार देने पर

जोर दिया गया। पंचायतों को वित्तीय साधन देने की दृष्टि से केन्द्र सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना में देश भर की पंचायतों को कुल 30 हजार करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान दिया है। 1994 में गठित 11 वें वित्त आयोग का एक विचारार्थ विषय है - 73 वें और 74 वें संवैधानिक संशोधन के संदर्भ में पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधनों की अनुपूर्ति के उपाय सुझाना। इस प्रकार, राज्य पंचायत संस्थाओं को अधिक वित्तीय साधन देने की आवश्यकता अनुभव करते हुए इस दिशा में प्रयत्नशील है। यह भी कहा गया है कि न्याय को सरल और कम खर्चीला बनाने के लिए पंचायतों को न्यायिक अधिकार दिए जाने चाहिए। इस सम्बन्ध में यह भी निश्चित किया गया कि बाल पोषाहार, सामूहिक बीमा और वृद्धावस्था पेंशन योजना पंचायतों के माध्यम से लागू की जाएगी।

नवीन संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत भी पंचायतों के प्रसंग में सब कुछ संतोषजनक नहीं है। 73 वें संवैधानिक संशोधन को लागू हुए लगभग 6 वर्ष का समय हो चुका है, लेकिन अब तक भी भारतीय संघ के तीन राज्यों तमिलनाडु, बिहार और उड़ीसा में पंचायतों के चुनाव नहीं हुए हैं। कुछ तकनीकी बातों का आधार बनाकर इन चुनावों को रोक दिया गया है। आवश्यकता इस बात की है कि संविधान द्वारा निर्धारित समय पर पंचायतों के चुनाव हो और पंचायतें दलगत राजनीति से अलग रहते हुए गांवों के उत्थान में लगकर राष्ट्रीय चेतना के महत्वपूर्ण अंग बन जाए।

Scanned with CamScanner